समक्ष माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण R-750-II/17 ~~/2016~~

(39)

ओ. पी. शर्मा (एड०) द्वारा आज दि. 28/02/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विलोपित विलोपित

1. छोटेलाल तनय पूरनदास पाण्डेय
2. नन्दलाल तनय पूरनदास पाण्डेय
3. गुलाब प्रसाद तनय पूरनदास पाण्डेय

सभी निवासी–ग्राम रहना, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0)

..................**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. रावेन्द्र प्रसाद तनय कौशल प्रसाद, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम रहना, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन मध्यप्रदेश

.....................**गैरनिगरानीकर्ता**

O.P. Sharma Adv
28.2.17

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना के राजस्व अपील क्रमांक 146ए3/15–16 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2017।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1. यह कि निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता क्र0–1 प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी हैं। चूंकि भूमियां कृषिक भूमियां हैं और अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा शासन म0प्र0 को पक्षकार बनाया गया था, इसी कारण शासन म0प्र0 को औपचारिक पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा रहा है।

XXIX(a)-BR(H)-11

(67)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-750-दो/17 जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी S.D.O. हनुमना के प्रकरण क्रमांक 146/अ-3/15-16 में पारित आदेश दिनांक 6-1-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16-10-19 को कलेक्टर रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	